रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265690
CG-DL-E-26082025-265690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3765] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
No. 3765] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3870(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2658 तारीख 13/06/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में कि.मी. 19/000 से कि.मी.51/985 तक के भूखंड (बामणी-राजुरा -वरूर रोड -देवाडा -लककडकोट -महाराष्ट्र सिमा) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-930D के निर्माण (**चौड़ा करने / दो लेन/चार लेन का बनाने**, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20/06/2025 को"**सकाळ** "**और** "**टाइम्स ऑफ इंडिया** " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ती से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-930D के कि.मी. 19.000 से कि.मी.51.985 तक (बामणी-राजुरा-वरूररोड-देवाडा-लक्कडकोट-महाराष्ट्र राज्य के सिमा खंण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमी का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: चंद्रपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राजुरा					
गांव का नाम: बामनवाड़ा					
1	378/2/ए	निजी (क्लास-1)	एग्रीकल्चर.	0.02	अशोकवान गृह निर्माण सहकारी संस्था, पुरुषोत्तम माधव गांधरे. 378/2/A
गांव का नाम: तुलना					
2	127/1/अ	निजी (क्लास 1)	एग्रीकल्चर.	0.31	ज्योती विलास गौरकर. 127/1/A
3	127/2	निजी (क्लास 1)	एग्रीकल्चर.	0.18	फरजाना बेगम अब्दुल जावेद शेख, रचना राजेश उपगन्लावार, सायराबानो ताहीर हुसेन सिद्दीकी. 127/2
			Total	0.51	

[फा. सं. 12037/71/2016-MAH (P-6)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3870(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways S.O. No.**2658 Dated:13/06/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building

(widening/Two lane/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-930D Bamni-Rajura-Warur Road-Dewada-Lakkadkot up to M.S. Border on the stretch of land from Km. 19/000 to Km. 51/985 in CHANDRAPUR District in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sakal" and "Times of India" both dated 20.06.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And Whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 19.000 to km 51.985 (Bamni-Rajura-Warurroad-Devada-Lakkadkot-M.S. Border section) of the National Highway No.930D in District Chandrapur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			**District: CHANDRAPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Rajura					
Village: Bamanwada					
1	378/2/A	Private (Class-1)	Agriculture.	0.02	Ashokvan Gruh Nirman Sahakari Sanstha, Purushottam Madhav Gandhare. 378/2/A
Village: Tulana					
2	127/1/A	Private (Class 1)	Agriculture.	0.31	Jyoti Vilas Gaurkar. 127/1/A
3	127/2	Private (Class 1)	Agriculture.	0.18	Farzana Begam Abdul Javed Sheikh, Rachana Rajesh Upganlawar, Sayarabano Tahir Husain Siddiqi-127/2
			Total	**0.51**	

[F. No. 12037/71/2016-MAH (P-6)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.26 11:27:22 +05'30'